न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 16/2016

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1गेनाराम 2मेवाराम 3सोहनलाल 4शोभाराम 5नरसीराम 6रामेश्वरलाल पुत्रान हजारीराम 7भंवरी देवी पत्नी हजारीराम जातियान कुमावत निवासीगण थांवला तहसील डेगाना जिला नागौर।		उप तहसीलदार, भैरून्दा।

उपस्थिति :–

1. श्री धरमाराम खुडखुडिया अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक:24.12.18

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार, भैरून्दा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 12/2015 सरकार बनाम गेनाराम व अन्य में निर्णय दिनांक 07.04.2015 के तहत मौजा थांवला के खसरा नं. 33 रकबा 0.10 बीघा गै.मु. बारानी–2 भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 03.02.2016 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 05.02.2016 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट्स द्वारा अपनी अपील के समर्थन में प्रकरण संख्या 12/2015 सरकार बनाम गेनाराम व अन्य में निर्णय दिनांक 07.04.2015 की फोटोप्रति तथा ग्राम थांवला की नकल खतौनी संवत 2026 से 2029 की प्रतिलिपि पेश की। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि रेस्पोडेन्ट उप तहसीलदार भैरून्दा ने प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये, जिस पर दिनांक 04.03.15 को अपीलांट नरसीराम उपस्थित हुआ व पुराना कब्जा होने की जुबानी जवाबदेही की तब उप तहसीलदार भैरून्दा ने अपीलांट नरसीराम को धमकी दी कि वह सभी को जेल में डाल देगे अन्यथा कब्जा छोडने की हाम भरो। तब अपीलांट ने भयभीत होकर दिनांक 04.03.15 को ही बिना इच्छा के ही कब्जा छोडने की हामी भरी जिस पर अपीलांट को न्यायालय से बाहर जाने दिया। दिनांक 04.03.15 को उप तहसीलदार ने धमका कर आगे की तारीख पेशी नही दी एवं तत्पश्चात बिना अपीलांट को सूचना दिये पुनः पत्रावली को दिनांक 12.03.15, दिनांक 20.03.15 व दिनांक 07.04.15 को पेशी पर लिया व दिनांक 07.04.15 को अपीलांटान को पुनः सूचना दिये बिना ही आधा बीघा पर अतिक्रमण मानते हुए अपीलांटान के विरूद्व धारा 91(6) आर.एल.आर. एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का आदेश पारित किया एवं आगामी पेशी दिनांक 22.04.15 को नियत की गयी व तत्पश्चात पुनः दिनांक 27.04.15, 25.05.15, 24.06.15 व 03.08.15 को तारीख पेशी रखते हुए दिनांक 03.08.15 को ही आधा बीघा पर अपीलांटान को अतिक्रमी मानते हुए मुकदमा दर्ज कराने व साथ ही बेदखली व जुर्माना अधिरोपित करने के आदेश पारित किये। जिसकी जानकारी हाल ही में नकल प्राप्त होने पर दिनांक 01.02.16 को हुई, जिससे अपील तुरंत पेश की। न्याय हित में तारीख जानकारी से अंदर मियाद शुमार की जाना न्यायोचित है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट्स की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि

{2}(I)–आदेश जैर अपील दिनांक 07.04.15 व 03.08.15 विधि विरूद्व, बिना अपीलांटान को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये, तथ्यों से विपरीत व विधि से विपरीत पारित कर दिये जाने से व पत्रावली पर आये तथ्यों से अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है व आदेश जैर अपील निरस्तनीय है।

2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि सार्वजनिक हित की न होते हुए भी व किस्म भूमि बारानी–2

अपर कलक्टर, नागौर

होते हुए भी विधिक प्रावधानों का उल्लघंन करते हुए धारा 91(6) भू राजस्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिनांक 07.04.15 को पारित किया व तत्पश्चात दिनांक 03.08.15 को पुनः धारा 91(6) भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नही करने का निर्णय किया व तत्पश्चात अपीलांटान का कब्जा नियमन योग्य होते हुए भी बेदखली का आदेश पारित करने में त्रुटि की है।

{2}(III)–पत्रावली के तथ्यों, परिस्थितियों व उप तहसीलदार द्वारा अपने आदेशों को मनमर्जी से पारित करने व तत्पश्चात परिवर्तित करने व कब्जा पुराना होते हुए नियमन की सिफारिश नही करने में त्रुटि की है व बेदखली की कार्यवाही विधि विरूद्व की है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए पहले तो धमकी देकर व जेल में बंद कर देने का भय दिखा कर दिनांक 04.03.15 को अपीलांट नरसीराम से कब्जा छोडने की अण्डर टेकिंग लेने का दस्तावेज लिखवाया व तत्पश्चात उसी दिन निर्णय नही किया व पुनः अपीलांटान को नोटिस दिये बिना ही आदेश जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 07.04.15 को धारा 91(6) भू राजस्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने का आदेश अपीलांटान की अनुपस्थिति में लिखाया तत्पश्चात उक्त आदेश को आगामी पेशी दिनांक 03.08.15 को परिवर्तित करते हुए अपीलांटान को सूचना व नोटिस दिये बिना ही पुनः बेदखली का आदेश पारित करने में त्रुटि की है।

{2}(VI)–विवादित कब्जे बाबत अपीलांट सं. 7 को नोटिस दिये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है। वकील अपीलांट्स द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि गैर खातेदारी की 10 बीघा भूमि की तरमीम / पहचान किये बिना ही आराजी पर अतिक्रमण माना गया है। जो मौके की जानकारी के अभाव में है तथा सभी अपीलांट्स को अलग – अलग नोटिस नही देकर संयुक्त रूप से नोटिस दिया गया है। जो विधिविरूद्व है। इसलिये आदेश जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(VII)–विवादित भूमि को राज्य सरकार द्वारा अनुचित रूप से अपीलांटान का कब्जा होते हुए भी खाली होना मानते हुए श्मशान के लिये आरक्षित करने की कार्यवाही की है जिस आदेश के विरूद्व अपीलांटान ने अलग से आवेदन पेश कर रखा है।

{3}– राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट्स द्वारा मौजा थांवला में स्थित गै.मु. बारानी–2 भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट्स को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट्स को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में अपीलांट्स का ग्राम थांवला के खसरा नं. 33 की आधा बीघा भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिस क्षेत्र पर अपीलांट्स का कब्जा है। उसे पटवारी की अतिक्रमण की रिपोर्ट पर नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है तथा अपीलांट्स को जारी किये गये नोटिस की तामील भी सभी से हुई है तथा अपीलांट नरसीराम ने शपथ पत्र देकर अतिक्रमण करना व हटा लेने का भी अधीनस्थ न्यायालय में कथन किया है। पटवारी हल्का के बयानों से आराजी भूमि सार्वजनिक है। जिस पर किये गये अतिक्रमण को लेकर ग्रामवासियों में भारी रोष है। जिससे भी आराजी भूमि सार्वजनिक उपयोग की होना प्रतीत होती है। इस प्रकार आदेश जैर अपील विधिवित सुनवाई के पश्चात् पारित हुआ है। जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर